

**न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

वि.आप.प्रक.क्रमांक-300085 / 2016
संस्थित दिनांक-20.09.2016

1. श्रीमती ममता धुर्वे, उम्र-26 वर्ष, पति योगेश धुर्वे,
2. कु. पूनम धुर्वे, उम्र-6 वर्ष, पिता योगेश धुर्वे, ना.बा.वली
माँ श्रीमती ममता धुर्वे पति योगेश धुर्वे, जाति गोंड,
दोनों निवासी-ग्राम परसाटोला, थाना गढ़ी, तहसील बैहर,
हा.मु. सीताडोंगरी, थाना बैहर, तह. बैहर, जिला बालाघाट म.प्र. ----- **आवेदिकागण**

// विरुद्ध //

योगेश धुर्वे, उम्र-28 वर्ष, पिता भोलासिंह धुर्वे, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम परसाटोला, थाना गढ़ी, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र. ----- **अनावेदक**

// आदेश //

(आज दिनांक-27.03.2018 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-20.09.2016 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका क्र.01, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है एवं आवेदिका क्र.02 अनावेदक की पुत्री है।
- 3- आवेदिकागण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका क्र.01 का अनावेदक से जाति रीति रिवाज अनुसार विवाह 26 अप्रैल वर्ष 2009 में हुआ था। विवाह के पश्चात दोनों पति-पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगे थे। उभयपक्षों के दाम्पत्य संसर्ग से आवेदक क्र.02 कु. पूनम धुर्वे का जन्म हुआ था। विवाह के एक वर्ष तक अनावेदक एवं उसके परिवारवालों ने आवेदिका क्र.01 को ठीक से रखा था। उसके बाद अनावेदक आए दिन शराब पीकर आवेदिका क्र.01 के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा था। अनावेदक एवं उसके परिवार के लोग आवेदिका क्र.01 से दहेज में मोटरसाईकिल, फ्रिज, एल.सी.डी. एवं नगद 50,000/-रूपए की मांग करते थे।

आवेदिका क.01, अनावेदक को समझाते रही की उसके मायके वाले गरीब है, उन्होंने उनकी हैसियत के अनुसार दहेज दिया है। दहेज की मांग को लेकर आवेदिका क.01 के साथ अनावेदक मारपीट करता था। आवेदिका क.01 यह सोचकर प्रताड़ना सहन करती रही कि अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, किन्तु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वर्ष 2013 में अनावेदक ने आवेदिका क.01 के साथ अत्यधिक मारपीट की थी जिसकी आवेदिका ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट की थी। समझौता के बाद अनावेदक ने आवेदिका को कुछ दिन ठीक से रखा था। उसके पश्चात् पुनः अनावेदक दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ मारपीट करने लगा था। दिनांक-01.05.2015 को अनावेदक ने आवेदिका को घर से निकाल दिया था। तब से आवेदिका उसके मायके में रह रही है। अनावेदक ने आवेदिकागण के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका क.01 के पास आय का कोई जरिया नहीं है। अनावेदक के पास 7.00 एकड़ दो फसली कृषि भूमि है, जो उसकी माँ के नाम से दर्ज है, जिसमें 150 क्विंटल धान, 50 क्विंटल गेहूं, 20 क्विंटल चना होता है। जिससे अनावेदक को 2,75,000/-रुपये प्रतिवर्ष आय होती है। अनावेदक पंचायत के माध्यम से ठेका लेता है, जिससे उसे 30,000/-रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित होती है। अनावेदक की माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ है उसे प्रतिमाह 6,000/-रुपये वेतन एवं 15,000/-रुपये प्रतिमाह परिवार पेंशन की राशि प्राप्त होती है। आवेदिकागण ने उनके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उन्हें भरण-पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4— अनावेदक द्वारा आवेदिकागण के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर आवेदन के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि आवेदिका क.01, अनावेदक के साथ विवाह के पश्चात् अच्छे से जीवन यापन करने लगी थी। अनावेदक मजदूरी करके आवेदिका क.01 का भरण-पोषण करता था। विवाह के बाद आवेदिका क.01 आंगनवाड़ी सहायिका का कार्य ग्राम में ही करने लगी थी। उसी समय आवेदिका क.01 का कई बार उसके मायके आना-जाना होता था। विवाह के एक वर्ष पश्चात् आवेदिका क.01 उसके मायके गई थी, वहां से वापस लौटने के बाद आवेदिका क.01, अनावेदक से कहने लगी थी कि अनावेदक आवेदिका क.01 के मायके में रहकर उसके साथ खेती बाड़ी करे। अनावेदक ने इंकार कर दिया था तो आवेदिका क.01, अनावेदक से लड़ाई-झगड़ा करने लगी थी एवं आवेदिका ने अनावेदक को मायके जाने एवं केस में फंसाने की धमकी दी थी। अनावेदक आवेदिका क.01 के मायके में रहने को तैयार हो गया था। लगभग 6 माह के पश्चात् आवेदिका क.01 के परिवारवाले

अनावेदक के साथ मारपीट कर कहते थे कि वह उसकी माँ से जमीन का हिस्सा लेकर जमीन को बेचकर पैसा उनकी खेतीबाड़ी में लगाए। अनावेदक ने इंकार किया था तो आवेदिका क्र.01 के माता-पिता एवं भाई ने अनावेदक को मारपीट कर घर से निकाल दिया था तब अनावेदक उसके घर आ गया था। अनावेदक पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट करने गया था तो पुलिसवालों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। अनावेदक कुछ दिन बाद उसकी माँ एवं समाज के अन्य लोगों को लेकर आवेदिका क्र.01 के मायके गया था आवेदिका के माता-पिता को समझाया था कि अनावेदक की वृद्ध मां हैं, समझाने के बाद आवेदिका क्र.01 अनावेदक के घर आ गई थी। जब अनावेदक मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, तब आवेदिका क्र.01 वर्ष 2015 में होली के त्यौहार पर अनावेदक को बिना बताए आवेदिका क्र.02 को साथ लेकर उसके मायके चली गई थी। अनावेदक को पता चलने पर अनावेदक आवेदिका के मायके गया था। तब आवेदिका क्र.01 उसके माता-पिता एवं भाई ने अनावेदक के साथ मारपीट की थी। अनावेदक बेरोजगार है, उसके बाद भी अनावेदक, आवेदिकागण को वापस लाकर भरण पोषण करने के लिए तैयार है। आवेदिका क्र.01 अनावेदक को उसकी माँ से अलग रखना चाहती है। अनावेदक ने आवेदिकागण का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5— आवेदनपत्र के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या आवेदिका क्र.01, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिकागण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिकागण के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

6— समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

7— आवेदिका ममता धुर्वे आ.सा.01 ने उसके मुख्य कथन की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि अनावेदक से उसकी शादी वर्ष 2009 में जाति रीति रिवाज अनुसार ग्राम सीताडोंगरी में हुई थी। विवाह के बाद वह उसके ससुराल ग्राम गढ़ी परसाटोला चली गई थी। विवाह के बाद ससुराल में अनावेदक ने उसे

दो वर्ष तक ठीक से रखा था। अनावेदक वर्ष 2011 में आवेदिका के साथ मारपीट करने लगा था एवं कहता था कि मायके से दहेज में टी.व्ही, मोटरसाईकिल एवं पचास हजार रुपए नगद लेकर आ, उक्त बात पर से अनावेदक आवेदिका के साथ मारपीट कर परेशान करता था। आवेदिका ने परिवार परामर्श केन्द्र बैहर में वर्ष 2012 में केस लगाया था। वहां पर दोनो के मध्य समझौता हो गया था। उसके बाद आवेदिका पुनः उसके ससुराल गढ़ी परसाटोला चली गई थी। उसके बाद अनावेदक ने आवेदिका क.01 को एक माह तक ठीक से रखा था। उसके बाद दहेज की बात पर से अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट कर आवेदिका को वर्ष 2015 में घर से निकाल दिया था। उसके बाद से आवेदिका क.01 उसके मायके ग्राम सीताडोंगरी में उसके माता-पिता के पास उसकी पुत्री आवेदिका क.02 पूनम को लेकर साथ रह रही है। अनावेदक ने वर्ष 2016 में आवेदिका के मायके ग्राम सीताडोंगरी में आकर मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बैहर में दर्ज कराई थी। आवेदिकागण को उनके खाना खर्चा के लिए नौ हजार रुपए का खर्च आता है। अनावेदक मिस्त्री का काम करता है, पंचायत का ठेका लेता है। जिससे वह प्रतिमाह तीस हजार रुपए कमा लेता है। अनावेदक की मां के नाम से सात एकड़ कृषि भूमि है अनावेदक की मां को पंद्रह हजार रुपए पेंशन मिलती है। अनावेदक कृषि से दो लाख रुपए वार्षिक आय अर्जित करता है। अनावेदक की मां आगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसे छः हजार मासिक वेतन प्राप्त होता है। अनावेदक आवेदिकागण को भरण पोषण राशि देने में सक्षम है।

8— प्रतिपरीक्षण में आवेदिका ने यह स्वीकार किया है कि उसने अनावेदक की नौकरी एवं उसका वेतन अनावेदक की मां के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसकी पदस्थापना से संबंधित प्रमाण पत्र एवं उसके वेतन संबंधी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। आवेदिका ने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह बिना किसी कारण के उसके मायके में रह रही है। अनावेदक ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी एवं अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट नहीं की थी। आवेदिका क.01 की साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में कोई सारवान खण्डन नहीं हुआ है। आवेदिका क.01 की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

9— नैनसिंह आ.सा.02 ने आवेदिका की साक्ष्य के समान कथन कर बताया है कि आवेदिका उसकी पुत्री है अनावेदक उसका दमांद है। अनावेदक द्वारा आवेदिका को परेशान करने के कारण साक्षी ने पुलिस थाना बैहर में दो-तीन बार रिपोर्ट की थी। अनावेदक की मारपीट के कारण साक्षी ने उसकी पुत्री का बैहर अस्पताल में ईलाज कराया था। तब से आवेदिका साक्षी के घर पर उसकी पुत्री के साथ रह रही है। नैनसिंह

अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य से आवेदिका क.01 की साक्ष्य की पुष्टि की है। इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

10— आवेदिकागण की संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका क.01 एवं अनावेदक के मध्य विवाद होने पर परिवार परामर्श केन्द्र बैहर में समझौता हुआ था। उसके बाद अनावेदक ने आवेदिका को एक माह तक ठीक से रखा था। किन्तु उसके बाद भी उभयपक्ष के मध्य दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं रहे थे। आवेदिका ममता की इस संबंध में साक्ष्य अखण्डित रही है कि अनावेदक द्वारा उसे मारपीट करने के कारण एवं दहेज मांगने के कारण आवेदिका परेशान होकर उसके मायके में रह रही है। इस प्रकार आवेदिका क.01 मजबूरन उसके मायके में आवेदिका क.02 के साथ निवासरत है। मायके में रहने के दौरान आवेदिकागण के भरण पोषण की अनावेदक ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदिकागण का अनावेदक से प्रथम निवास करने का पर्याप्त कारण है। यह उल्लेखनीय है कि आवेदिका एवं उसके साक्षी नैनसिंह की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका क.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।

11— आवेदिकागण की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक के पास कृषि भूमि है जिससे उसे आय प्राप्त होती है। परंतु आवेदिकागण ने अनावेदक की कृषि भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। आवेदिका ने उसकी मौखिक साक्ष्य से अनावेदक को कृषि भूमि से आय प्राप्त होना प्रकट किया है। आवेदिका क.01 एवं उसके साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट है कि अनावेदक अलग कृषि से आय प्राप्त करता है। आवेदिका एवं उसके साक्षी की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक मिस्त्री का काम करता है, पंचायत का ठेका लेता है जिससे वह आय प्राप्त करता है। अनावेदक की मां को पेंशन मिलती है एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जिससे अनावेदक की मां आय प्राप्त करती है। आवेदिकागण ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। आवेदिका की साक्ष्य के अनुसार अनावेदक उसे एवं उसकी पुत्री को भरण पोषण की राशि देने में सक्षम है।

12— आवेदिकागण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक पर्याप्त आय प्राप्त करता है। अनावेदक आवेदिका क.01 एवं उसकी पुत्री का भरण पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। आवेदिका क.01, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदक ने आवेदिका क.01 एवं उसकी पुत्री के भरण-पोषण की उपेक्षा की है एवं उसके भरण-पोषण से इंकार किया है। आवेदिका क.01 उसका एवं उसकी पुत्री का भरण पोषण करने में असमर्थ है। पत्नी एवं नाबालिग पुत्री के भरण पोषण का दायित्व पति एवं पिता पर होता है किंतु अनावेदक ने आवेदिका क.01 के साथ मारपीट कर दहेज की मांग कर आवेदिका क.01 को अपने घर

से भगाकर आवेदिका क.01 एवं उसकी पुत्री का भरण-पोषण करने से इंकार कर उनकी उपेक्षा की है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर पर्याप्त आय प्राप्त करता है। आवेदिकागण के रहन सहन एवं वर्तमान समय की मंहगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक, आवेदिका क.01 को 2,000/- (दो हजार) रूपए प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि एवं आवेदिका क.02 को 1,000/- (एक हजार) रूपए प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख-8 को निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

13- अनावेदक, आवेदिकागण का व्यय वहन करेगा।

14- आवेदिकागण को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर मेरे निर्देश पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, बालाघाट म0प्र0

सामान्य जानकारी के लिये
सकीय / विधिक उपयोग